

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.13(क)(1)गृह-2/2022

जयपुर, दिनांक:

आज्ञा

विषय:- राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) एवं उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के गणवेश भत्ता के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के अधिकारियों एवं उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक को वर्दी के लिये देय प्रारंभिक ग्रांट एवं नवीनीकरण ग्रांट में वृद्धि करते हुये दरें निम्नानुसार संशोधित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	पद नाम	वर्दी प्रारंभिक ग्रांट	वर्दी नवीनीकरण ग्रांट (प्रति 7 वर्ष में एक बार)
1	राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी (आर.पी.एस.)	5000/-	4000/-
2	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक	4000/-	3000/-

यह आज्ञा दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होगी।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 122300021 दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, गृह(पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा- I), राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह(पुलिस)

Signature valid

Digitally signed by Jagveer Singh  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.08.14 19:01:55 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4494540